# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 275/2018

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| 1– पीराराम पुत्र लिखमाराम<br>2– आदूराम पुत्र लिखमाराम<br>3– दौलाराम पुत्र लिखमाराम<br>सभी जातियान जाट निवासी घतरवालो की ढाणी, ग्राम पंचायत बायतु भोपजी, तहसील बायतु जिला बाडमेर | | 1– पोकरराम पुत्र खेराजराम जाति जाट निवासी बायतु भीमजी, तहसील बायतु जिला बाडमेर<br>2– भंवराराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी घतरवालो की ढाणी, ग्राम पंचायत बायतु भोपजी, तहसील बायतु जिला बाडमेर<br>3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक बायतु तहसील बायतु जिला बाडमेर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बायतु राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2017 अनवान पोकरराम बनाम भंवराराम व अन्य मे दिनांक 24–5–17 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बी0एल0डूडी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री अणदाराम बेनीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 24–5–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 पोकरराम पुत्र खेराजराम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष न्याय आपके द्वार 2017 केम्प कोर्ट खींपर मे दिनांक 24–5–17 को प्रस्तुत कर अपने खातेदारी की भूमि मौजा घतरवालो की ढाणी पटवार हल्का बायतुं भीमजी के खेत खसरा नंबर 377/293 रकबा 7.19 बीघा तथा, खसरा नंबर 383/305 रकबा 13.04 बीघा कुल 21.03 बीघा की पक्की नेखमबंदी करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–5–2017 को पारित करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार बायतु को आदेशित किया कि प्रार्थीगण व उसके खातेदारी खेत के समस्त हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस देकर सुनने के बाद दोनो पक्षकारो की उपस्थिति मे विवादित खसरा नंबरान की भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करने के निर्देश दिये तथा तहसीलदार बायतु को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त करते हुए आवश्यकता होने पर तहसीलदार बायतु को पुलिस थाना बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना तथा अपीलाधीन भूमि के पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाकर उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष केम्प मे दिनांक 24–5–2017 को प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ मात्र अपने खातेदारी की भूमि की पुष्टि हेतु जमाबंदी की नकल प्रस्तुत कर अपने खातेदारी की भूमि की पक्की नेखमबंदी बाबत निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प मे ही उसी दिन पक्षकारो को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ जो दस्तावेजात पेश किये है उनमे स्वयं के खातेदारी के खसरा नंबरान 119, 120, 121 की जमाबंदी की नकल तथा अपीलाधीन भूमि मौजा धतरवालो की ढाणी का आंशिक नक्शा किस्तवार की सत्य प्रतिलिपी प्रस्तुत की जिसमे अपीलांट के खसरा नंबरान के लगते रेस्पो0 संख्या 1 का खसरा नंबर 383/305 आया हुआ है इसलिए अपीलांट रेस्पो0 संख्या 1 के पडौसी खातेदार होने से अपीलाधीन निर्णय से सीधा प्रभावित है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय मे पडौसी खातेदारान को सुनवाई का कोई अवसर देने का उल्लेख नही किया गया है, केवल प्रार्थीगण एवं उसके खातेदारी खेत के समस्त हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई के निर्देश अपीलाधीन निर्णय मे पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–5–2017 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय मे तहसीलदार बायतु को प्रार्थीगण व उसके खातेदारी खेत के समस्त हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस देकर सुनने के बाद दोनो पक्षकारो की उपस्थिति मे विवादित खसरा नंबरान की भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करने के निर्देश दिये गये है तो अपीलांट भी वहां उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण अपीलाधीन भूमि के पडौसी खातेदार होने के नाते निर्णय मे यदि पडौसी खातेदारान को सुनवाई का अवसर देने का उल्लेख नही किया गया है तो प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करते हुए तथा कोई तारीख मुकर्रर करते हुए उभय पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान करने का निवेदन किया ।

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन भूमि के पडौसी खातेदारान तथा हितबद्ध समस्त खातेदारान को पक्षकारान बनाते हुए उन्हे नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः विधिसम्मत नेखमबंदी बाबत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन निर्णय तथा इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील मीमो एवं उसके सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2070–73 अनुसार अपीलांटगण मौजा धतरवालो की ढाणी के खसरा नंबर 119, 120, 121 के रेकर्डेड खातेदार है तथा इस न्यायालय की अपील पत्रावली मे उपलब्ध मौजा धतरवालो की ढाणी के आंशिक नक्शा किस्तवार की सत्य प्रतिलिपी का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि रेस्पो0 संख्या 1 का खसरा नंबर 383/305 अपीलांटगण के खसरा नंबरान से लगता हुआ है इसलिए अपीलांट रेस्पो0 संख्या 1 के पडौसी खातेदार होने से वे अपीलाधीन निर्णय से सीधा प्रभावित है परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलांटगण (पडौसी खातेदारो) को पक्षकार बनाये बिना तथा रेकर्ड पर सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही नेखमबंदी बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही होगा ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–5–2017 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 की अपीलाधीन वादग्रस्त भूमि के समस्त पडौसी खातेदारान, अपीलांटगण एवं हितबद्ध खातेदारान को पक्षकार बनाकर, उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा अपीलाधीन भूमि के संबंध मे सीमाज्ञान रिपोर्ट रेकर्ड पर लेते हुए पुनः नेखमबंदी बाबत विधिसम्मत आदेश पारित करे । उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20–6–2019 को उपस्थित रहें ।

निर्णय आज दिनांक 24–5–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर